

आरएफपी संदर्भ सं.: -रा.आ.बैंक/एमआरसीपीडी/आउट 01511/2022

भारत में आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण के संवर्धन एवं विकास के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापना हेतु सलाहकार के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बाजार अनुसंधान परामर्श एवं नीति विभाग  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110 003  
फोन: 011-39187128, 011-39187321  
ईमेल: padmavathy.s@nhb.org.in; shruti.jain@nhb.org.in

गोपनीय

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली प्रारंभ करने की तिथि	29.03.2022
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (दिनांक और समय)	06.04.2022; 03:00 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	11.04.2022; 04:00 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित किया जाएगा
5.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित किया जाएगा
6.	बयाना जमा राशि	4,00,000/- रुपये (चार लाख रुपये मात्र)
7.	किसी भी स्पष्टीकरण हेतु संपर्क व्यक्ति	डॉ. पद्मावती एस., सहायक महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक मोबाइल - 8826684322;; ई-मेल: <a href="mailto:padmavathy.s@nhb.org.in">padmavathy.s@nhb.org.in</a>  श्रुति जैन, प्रबंधक रा.आ.बैंक फोन: 9289305005 ई-मेल: <a href="mailto:shruti.jain@nhb.org.in">shruti.jain@nhb.org.in</a>
8.	बोली प्रस्तुत करने का माध्यम	सरकारी ई-बाजार (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्वाधिन एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु में है। रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं।

## 3. प्रयोजन

भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने मई 2019 में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति का गठन किया था जिसने सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के लिए रा.आ.बैंक के व्यापक अधिदेश तथा भारत में आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण (आरएमबीएस) के कई मुद्दों को सुविधाजनक बनाने के अपने पिछले अनुभव पर जोर देते हुए, समिति ने कुछ रा.आ.बैंक विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान की, जिनमें से एक में मानक निर्धारण एवं बाजार निर्माण के प्राथमिक कार्यों के साथ आवास वित्त प्रतिभूतिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक मध्यस्थ की स्थापना शामिल थी।

गोपनीय

4. उद्देश्य

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

5. कार्य क्षेत्र और एवं प्रमुख डिलिवरेबल्स

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

6. पात्रता का मानदंड

बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्रता मानदंड नीचे उल्लिखित हैं। केवल वे बोलीदाता, जो नीचे उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पात्रता बोली में सभी पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

इस आरएफपी के तहत बोलीदाता की योग्यता, मूल्यांकन एवं चयन के उद्देश्य से एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

तालिका: अंग्रेजी पत्रानुसार

बोलीदाता को उपरोक्त सभी मानदंडों का पालन करना होगा। किसी भी पात्रता मानदंड का पालन न करने पर प्रस्ताव को संक्षिप्त रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। मूल्यांकन समिति के पास स्वतंत्र रूप से बोलीदाता द्वारा किए गए दावों को सत्यापित/मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी विसंगति बोलीदाता को आक्षेप/ब्लेकलिस्ट में डाल सकती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय अंतिम एवं बोलीदाता हेतु बाध्यकारी होगा।

**टिप्पणी:**

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सलाहकार जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप

गोपनीय

से बताया गया है।

## 7. बोली मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित दो चरणों में की जाएगी:

- I) पात्रता एवं तकनीकी मूल्यांकन
- II) वाणिज्यिक मूल्यांकन

मूल्यांकन समिति जेम (सरकारी ई-बाजार) पोर्टल पर जमा की गई तकनीकी बोली खोलेगी।

1. **पात्रता मूल्यांकन:** सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं हेतु पात्रता का मूल्यांकन पहले किया जाएगा। बोलीदाताओं, जो ऊपर उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, को तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। शेष बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. **तकनीकी मूल्यांकन:** बोलीदाता की वित्तीय स्थिरता एवं अनुभव से संबंधित पात्रता मानदंड शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने वाले बोलीदाताओं की बोलियों को आगे के मूल्यांकन/चयन प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा।

तकनीकी बोली के लिए अधिकतम 100 अंक आबंटित किए जाएंगे। इस स्तर पर केवल तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी मूल्यांकन (प्रस्तुति के अंकों सहित) में 100 अंकों में से 70 से कम अंक (कट-ऑफ स्कोर) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं पर आगे के चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। एक बार तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद, निर्धारित कट-ऑफ स्कोर से अधिक स्कोर करने वाले बोलीदाताओं को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।

### I) **पात्रता एवं तकनीकी मूल्यांकन**

तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन नीचे दिए गए मानदंडों पर आधारित होगा:

तालिका: अंग्रेजी पत्रानुसार

गोपनीय

**टिप्पणी:**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**II) वाणिज्यिक मूल्यांकन**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**8. बोलीदाताओं के लिए निर्देश**

**8.1 सामान्य:-**

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं; इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र बोलीदाताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा। सलाहकार का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि पात्रता सह तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों की मूल हार्ड कॉपी के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

**गोपनीय**

<p><b>संपर्क व्यक्ति:</b></p> <p>पद्मावती एस सहायक महाप्रबंधक एमआरसीपीडी, रा.आ.बैंक फोन: 8826684322</p>	<p><b>संपर्क व्यक्ति:</b></p> <p>श्रुति जैन प्रबंधक एमआरसीपीडी, रा.आ.बैंक फोन: 9289305005</p>
---	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो केवल जेम के माध्यम से लिया जा सकता है।
- बोलीदाता को भारत में सरकारी विभाग/पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।

## 8.2 बोली प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा/आरएफपी को जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> से "निविदाएं" भाग के तहत तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी डाउनलोड की जा सकती है। बोली/प्रतिक्रियाएं अनिवार्य रूप से केवल जेम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं एवं प्रस्तुत करने के किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियां, यदि कोई हों, तो अस्वीकार कर दी जाएंगी तथा आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय

### 8.3 बोली पूर्व बैठक

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर ऑनलाइन माध्यम से बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न दिनांक **04.04.2022** को या उससे पहले जेम पर अपलोड किए जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि पूर्व बोली बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। बैठक के लिए लिंक "निविदाएं" भाग के तहत बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

➤ प्रश्नों को आवश्यक रूप से निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए::

क्र. सं.	आरएफपी अनुच्छेद सं. और पृष्ठ सं.	आवश्यक आरएफपी सामग्री	स्पष्टीकरण	स्पष्टीकरण हेतु बिंदु
1				
2				
3				

➤ रा.आ.बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि बोलीदाताओं के प्रश्न उन्हें प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार या विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर रा.आ.बैंक द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है

### 8.4 आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 8.5 विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी

गोपनीय

विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 8.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- आरएफपी में संशोधन जेम पोर्टल तथा रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर अपलोड किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

### 8.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

### 8.9 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

गोपनीय

### 8.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूप में कोट की जाएगी। भारतीय रूप के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 8.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 8.12 कार्य-निष्पादकता बैंक गारंटी (पीबीजी)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 8.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य एवं अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 06 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेक पर, जीईएम पोर्टल तथा रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार एवं दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।
- निर्धारित तिथि एवं समय पर जेम पोर्टल के माध्यम से बोलियां ऑनलाइन खोली जाएंगी।

### 8.14 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी

गोपनीय

परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 8.15 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 8.16 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 8.17 बोलीदाताओं को निर्देश

सलाहकार कानूनी सहायता/सेवाओं को छोड़कर, अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करने हेतु अपने दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्दिष्ट/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

### 8.18 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करें (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श की लागत से संबंधित कोई मूल्य भिन्नता पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय

- जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित पत्र सौंपने की तिथि/लेटर ऑफ अवाई (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तारीख होगी। यदि लागू हो, तो समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए उसी तिथि पर विचार किया जाएगा।

### 8.19 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, द्वारा इंगित स्थानों पर उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 8.20 मैनुअल/ड्राइंग

बोलीदाता अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएंगी। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होनी चाहिए और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए।

### 8.21 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है।

### 8.22 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

गोपनीय

### 8.23 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है **अनुलग्नक- IV** के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

### 8.24 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 8.25 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 8.26 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 8.27 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-

गोपनीय

उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। - क्या निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए?

### 8.28 कानूनों का अनुपालन

- क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ख) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक/एसपीवी सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- ग) यदि रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 8.29 बौद्धिक संपदा अधिकार

सलाहकार के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

गोपनीय

- क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक/एसपीवी द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक/एसपीवी इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक/एसपीवी की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।
- घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

### 8.30 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- क) यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा/बोली को संक्षिप्त रूप में अस्वीकृत कर दी जाएगी।

गोपनीय

ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, अपने विवेक पर पीबीजे के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

### 8.31 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।  
यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को **अनुलग्नक XVII** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से

किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।  
"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;  
"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;
  - ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
  - iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
  - iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
  - v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।
- घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

## 9. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है:-

गोपनीय

### 9.1 मूल्य

- क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख) कीमत पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए अर्थात् 18 माह की अवधि के लिए वैध होना चाहिए, जिसे रा. आ.बैंक/एसपीवी, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के बढ़ाया जा सकता है।
- ग) कीमत कर से अलग होनी चाहिए।
- घ) समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### 9.2 डिलिवरेबल्स एवं भुगतान अनुसूची हेतु समयसीमा

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 9.3 संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

**\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

**XXXXXXXXXXXX**